

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025—भाद्र 21, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 मार्च 2025

क्रमांक ई 1-10/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के निम्नांकित अधिकारियों की सेवा अवधि 30 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, उपलब्ध रिक्त पद पर छानबीन समिति (Screening Committee) की बैठक दिनांक 10-03-2025 में की गई अनुशंसा अनुसार, सेवा के अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) Pay Matrix Level-17 में दिनांक 01-01-2025 से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-8 के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है.

1. डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995)
2. श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995)

3. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11030/06/2024-AIS-II, दिनांक 27-12-2024 द्वारा मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 01 रिक्ति का निर्धारण किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2025

क्रमांक GENCOR/444/2025/GAD-2.—विभागीय आदेश क्रमांक ई 3-08/2023/एक/2, दिनांक 28-03-2024 द्वारा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 25011/02/2021-AIS-II (Pension) दिनांक 13-07-2023 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के तहत संबंधित अखिल भारतीय सेवा के पात्र अधिकारियों द्वारा विकल्प आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त उक्त विकल्प आवेदन पर महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त परामर्श अनुसार श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही. भा.प्र.से. (2006) एवं श्री भुवनेश यादव भा.प्र.से. (2006) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की अनुमति प्रदान करते हुए उसके सभी अनुवर्ती लाभ प्रदान किये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है।

2. श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही. भा.प्र.से. द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त परामर्श अनुसार राज्य शासन एतद्वारा विभागीय आदेश के पैरा-2 के स.क्र. 01 के कॉलम-2 में उल्लेखित अधिकारी श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. को केन्द्रीय सिविल सेवा में नियुक्ति की तिथि दिनांक 05-12-2005 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की अनुमति एवं उसके सभी अनुवर्ती लाभ प्रदान किये जाते हैं।
3. विभागीय आदेश क्रमांक ई 3-08/2023/एक/2 दिनांक 28-03-2024 में उल्लेखित अन्य निर्देश/टीप यथावत् लागू रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur (C.G.)

Nava Raipur, the 22nd July 2025

F. No. 2007/2261/XXI-B/C.G./2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 892/Confdl./2025/II-15-2/2005 (Pt.IV), Bilaspur, dated 22nd July 2025, hereby, appoints the following member of Higher Judicial Service as specified in column (2) of the Schedule below as Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date she assumes charge of her office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Ku. Sanghratna Bhatpahari, III District & Additional Sessions Judge, Jagdalpur	Principal Judge, Family Court, Janjgir-Champa

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEEPAK KUMAR DESHLAHRE, Additional Secretary.

राजस्व विभाग**कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 22 जुलाई 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/9726/202301050400015/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंड़ी उपरोड़ा	पुटुवा प.ह.नं. 37	1.604	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)	पुटुवा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 जुलाई 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/9841/202310052900001/अ-82/2023-24.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पसान	कटोरी नगोई प.ह.नं. 33	1.219	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)	कटोरी नगोई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 2 सितम्बर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/202410042100115/अ-82/2023-24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरमुड़ा प.ह.नं. 25	1.986	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 सितम्बर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/202410042100116/अ-82/2023-24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमपाली प.ह.नं. 07	1.235	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 सितम्बर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/202410042100117/अ-82/2023-24.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	धनांगर प.ह.नं. 10	3.151	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

महासमुन्द, दिनांक 6 अगस्त 2025

क्रमांक 34/श्र.प./बंधक श्रम/2025.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्व जिला महामसुन्द के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम व पद नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति श्री रवि कुमार साहू अपर कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिले में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य	
	1. श्री देवेन्द्र कुमार राय ग्राम-बरभाठा वार्ड नं. 10, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य
	2. श्री चन्द्रशेखर बेलदार वार्ड नं. 22 महासमुन्द वि.खं. महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य

(1)	(2)	(3)
3.	जिले में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्रीमति निरंजना चन्द्राकर वार्ड नं. 27 महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य
4.	जिले में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द, 2. उप संचालक, कृषि विभाग महासमुन्द 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला-महासमुन्द 4. श्रम पदाधिकारी, जिला-महासमुन्द	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य/सचिव
5.	जिले में वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि 1. प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक महासमुन्द	सदस्य
2.	उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनिन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—	
I-	अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाइट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.	
II-	ईट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पारवलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.	
III-	यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.	
IV-	मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.	
V-	मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिये पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.	
VI-	उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.	
VII-	यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.	
VIII-	मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.	

- IX- सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किये गये बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जायेगा.
3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3(1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुर्नगठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.
4. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख संधारित किया जायेगा :—
- I- विमुक्त बंधक श्रमिकों के नाम एवं पता संबंधित पंजी.
- II- विमुक्त बंधक श्रमिकों के पेशा, व्यवसाय एवं आय से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े से संबंधित पंजी.
- III- विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित पंजी, जिसमें आर्थिक सहायता, कृषि के लिए उपकरण प्रदाय, हस्तशिल्प या सहायक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, ऋण प्रदाय की जानकारी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदाय संबंधी जानकारी सम्मिलित है.
- IV- अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (6), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2), धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाली पंजी.
5. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

विनय कुमार लंगेह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th July 2025

No. 8/L.G./2025/II-2-19/2015.—Smt. Satyabhama Ajay Dubey, Principal District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted commuted leave for 06 days from 21-10-2024 to 26-10-2024, earned leave for 04 days from 28-12-2024 to 31-12-2024 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 04 days from 24-02-2025 to 27-02-2025 along with permission to remain out of headquarters from 23-02-2025 to 27-02-2025, commuted leave for 03 days from 29-05-2025 to 31-05-2025, earned leave for 03 days from 04-06-2025 to 06-06-2025 along with permission to remain out of headquarters from 04-06-2025 to 08-06-2025 and earned leave for 04 days from 08-07-2025 to 11-07-2025 along with permission to remain out of headquarters from 08-07-2025 to 14-07-2025.

During the period of earned leave & commuted leave, as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 118 days of half-pay-leave and 181 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 29th July 2025

No. 9/L.G./2025/II-2-35/2017.—Smt. Swarnlata Toppo, the then I Additional Principal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 07-10-2024 to 10-10-2024 along with permission to remain out of headquarters from 06-10-2024 to 13-10-2024, earned leave for 05 days from 23-12-2024 to 27-12-2024 along with permission to remain out of headquarters from 21-12-2024 to 27-12-2024, earned leave for 09-days from 15-04-2025 to 23-04-2025.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Toppo, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 131 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 30th July 2025

No. 10/L.G./2025/II-2-30/2016.—Shri Brijendra Kumar Shastri, Principal District & Sessions Judge, Bemetara is hereby, granted earned leave for 04 days from 20-11-2024 to 23-11-2024 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 19-11-2024 till before the Court hours of 25-11-2024 and earned leave for 03 days from 15-04-2025 to 17-04-2025 along with permission to remain out of headquarters from 12-04-2025 till 17-04-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 206 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th July 2025

No. 11/L.G./2025/II-2-25/2017.—Shri Suresh Joon, Judge, Family Court, Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 04 days from 29-12-2024 to 01-01-2025 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2024 to 01-01-2025, earned leave for 10 days from 16-01-2025 to 25-01-2025 along with permission to remain out of headquarters from 15-01-2025 to 26-01-2025 and earned leave for 15 days from 27-02-2025 to 13-03-2025 along with permission to remain out of headquarters from 27-02-2025 to 16-03-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joon, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 101 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)